काशी कुंभ

राजेन्द्र सिंह

काशी कुंभ

राजेन्द्र सिंह

PILGRIMS

पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग

वाराणसी

काशी कुंभ
राजेन्द्र सिंह

प्रकाशक
पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग
बी. 27/98 ए–8 दुर्गाकुण्ड, वाराणसी–221001
टेलीफोन–(91-542) 2314060
e-mail-pilgrims publishingvns@gmail.net.in
website-www.pilgrimsonlineshop.com
www.pilgrimsbooks.com

प्रथम संस्करण– 2014
© राजेन्द्र सिंह, सन् 2014

सम्पादन – वशिष्ठमुनि ओझा
लेआउट – सुरेश जायसवाल

ISBN–978-93-5076-039-0

इस पुस्तक का पुनर्प्रकाशन, किसी भी प्रकार का आंशिक या पूर्ण प्रकाशन, इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग, छायाचित्र का उपयोग आदि, विशेषज्ञ की समीक्षा के अलावा, प्रकाशक की अनुमति के बिना कानून का उल्लंघन है।

मुद्रण – भारत

आभार

काशी कुंभ वस्तुतः एक राष्ट्रीय अभियान का पहला अभिलेख है। मां गंगा को केंद्र में रखकर विभिन्न स्थानों पर संपन्न हुए 'काशी कुंभ' के नौ दिवसीय कार्यक्रम का संपूर्ण विवरण इस छोटी–सी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न संस्थाओं से जुड़े सैकड़ों विद्वानों, मनीषियों, छात्रों, संतों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचारों तथा गंगा–अभियान संबंधी गतिविधियों को प्रकाश में लाने वाला यह दस्तावेज 'गागर में सागर' की कहावत को चरितार्थ करता है। इस उपलब्धि का प्रथम श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारे संकल्प और अभियान को सार्थकता प्रदान की। पुस्तक की तैयारी में जिन–जिन लोगों ने उत्साह दिखाया और हर तरह से सहयोग दिया, उन सबको, काशी कुंभ के संयोजक एवं पुस्तक के लेखक के रूप में मैं साधुवाद देता हूं। प्रो. प्रदीप भार्गव के प्रति मैं विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने इस पुस्तक की सामग्री जुटाने में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम के आयोजन और पुस्तक की तैयारी में मूल्यवान परामर्श तथा सहयोग देने के लिए मैं प्रो. अवनीश मिश्र के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग, वाराणसी के संचालक श्री रामानन्द तिवारी जी ने न केवल पुस्तक के प्रकाशन का मेरा प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया बल्कि पुस्तक को तत्परता के साथ प्रकाशित भी कर दिया। इसके लिए मैं उन्हें बार–बार धन्यवाद देता हूं।

–लेखक

राजा, प्रजा और ऋषि जहां एक साथ बैठकर साझे भविष्य की कल्पना में रंग भरते हों, रास्ते बनाते हों; सकारात्मक शक्तियों द्वारा नकारात्मक शक्तियों और गतिविधियों पर रोक की कोशिश जहां भी हो, वहीं 'कुंभ' है।

विश्व को ब्रह्माण्ड रूप भरा हुआ कुंभ ही कहा गया। वैज्ञानिक इसी से दिन, रात, महीना और बारह महीनों के एक वर्ष की गणना करते हैं। पृथ्वी एक दिन में एक बार अपनी धुरी पर और बारह महीनों में एक बार सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। यह हम सभी जानते हैं। भारत के ऋषि वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि ब्रह्माण्ड में ऑक्सीजन–प्रधान और कार्बन–डाइ–आक्साइड–प्रधान दोनों प्रकार के पिंड हैं। ऑक्सीजन प्रधान–पिंड **'जीवनवर्धक'** कहे गये और कार्बन डाइ आक्साइड–प्रधान पिंड **'जीवनसंहारक'** कहे गये। बृहस्पति ग्रह जीवनवर्धक पिंडों और तत्वों का सर्वप्रधान केन्द्र है। शनि ग्रह को जीवन–संहारक तत्वों का खजाना कहा गया। सूर्य का द्वादशांष छोड़ दें, तो शेष भाग जीवनवर्धक है। सूर्य पर दिखता काला धब्बा ही वह हिस्सा है, जिसे जीवन–संहारक कहा जाता है। अमावस्या के निकट काल में जब चंद्रमा क्षीण हो जाता है, तब संहारक प्रभाव डालता है। शेष दिनों में, खासकर अपने पूर्णिमा के दिनों में चंद्रमा जीवनवर्धक होता है। शुक्र सौम्य होने के बावजूद संहारक है। अतएव इसे आसुरी शक्तियों का पुरोधा कहा जाता है। मंगल रक्त और बुद्धि दोनों पर प्रभाव डालता है। बुध उभय पिंड है, जिस ग्रह का प्रभाव अधिक होता है, बुध उसके अनुकूल ही प्रभाव डालता है। छाया ग्रह राहु–केतु तो सदैव ही जीवन–संहारक यानी कार्बन डाइ आक्साइड से भरे पिंड हैं। इनसे जीवन की अपेक्षा करना बेकार है। अलग–अलग ग्रह अलग–अलग राशियों के स्वामी हैं। अतः जीवनवर्धक ग्रहों का प्रधान बृहस्पति जब–जब संहारक ग्रह की राशि में प्रवेश कर जीवनसंहारक तत्वों में रुकावट पैदा करता है; ऐसे संयोग की तिथियां शुभ मानी गईं।

ऐसे चक्र में एक समय ऐसा आता है, जब ऑक्सीजन–प्रधान पिंड 'बृहस्पति' जीवन–संहारक प्रधान ग्रह शनि की खास राशि कुंभ में प्रवेश करता है तथा सूर्य और चन्द्रमा मंगल की राशि मेष में आ जाते है। तब इनके प्रभाव का केन्द्र–बिन्दु हरिद्वार बनता है। यह समय हरिद्वार में कुंभ पर्व का समय माना जाता है।

इसी प्रकार जब बृहस्पति ग्रह दैत्यगुरु शुक्र की राशि वृष में प्रवेश करता है तथा सूर्य और चन्द्रमा का शनि की मकर राशि में प्रवेश होता है, ऐसे समय इलाहाबाद प्रभाव–बिन्दु बनता है। तब प्रयाग में कुंभ होता है। याद रहे कि यही वह तिथि होती है, जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। सूर्य का उत्तरायण होना कर्मकाण्ड की दृष्टि से शुभ माना जाता है।

जब भादों की भयानक धूप होती है, तब सूर्य के मारक प्रभाव से बचाने के लिए बृहस्पति सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करता है। इस समय जब तक सूर्य चन्द्र सहित सिंह राशि पर बना रहता है तब तक नासिक इसका केन्द्र बिन्दु होता है और वहां गोदावरी तीरे कुंभ पर्व की तरह मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंहस्थ हो, सूर्य मंगल की मेष राशि में हो और चन्द्रमा शुक्र की राशि तुला में पहुंच जाये, तो महाकाल का पवित्र क्षेत्र–उज्जैन प्रभाव बिन्दु बनता है और शिप्रा किनारे कुंभ का मेला लगता है।

कुंभ का सिद्धान्त :– मेरा मन आस्था और विज्ञान के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने धर्माचार्यों से चर्चा की, कल्पवासियों के बीच बैठा, अनुभवों को टटोला, तब एक बात समझ में आयी कि भारत में लम्बे समय से समाज को अनुशासित करने के लिए बनाई गयी वैज्ञानिक रीति–नीति को धर्म–पाप–पुण्य और मर्यादा जैसी आस्थाओं से जोड़ा जाता रहा है। समाज को विज्ञान की जटिलताओं में उलझाने की बजाय, आस्था की सहज, सरल और छोटी पगडंडी का मार्ग अपनाया गया।

अतः पुराण की बात मानें तो भी और विज्ञान की मानें तो भी जब–जब देवताओं अर्थात् जीवनवर्धक रचनात्मक शक्तियों द्वारा आसुरी शक्तियों अर्थात् जीवन–संहारक यानी नकारात्मक तत्वों के दुष्प्रभाव को रोकने की कोशिश की गई, तब–तब का समय व कोशिश कुंभ नाम से विख्यात हुई। सम्भव है कि ऐसे शुभ कार्यों को निरंतरता देने के लिए समाज के नियंताओं ने इसे नियमित कर्म का रूप दे दिया और जो–जो स्थान इन कोशिशों का केन्द्र–बिन्दु बने, वे कुंभ पर्व का स्थान हो गये। अथर्ववेद में विश्व को ही

'घट' के रूप में कल्पित किया गया है। नकारात्मक शक्तियां विश्व की आसुरी कृत्यों का प्रतीक हो गईं और देव शक्तियां बुरे कामों, बुरे प्रभावों को रोकने वाली ताकत के रूप में कल्पित की गईं। समाज में हमेशा से ये दो तरह की शक्तियां रही हैं। आस्था और विज्ञान दोनों का आकलन करें, तो कौन इन्कार करेगा कि अच्छी ताकतों द्वारा बुरी ताकतों को रोकने की कोशिश और इसके लिए एकजुट होने की परिपाटी ही कुंभ है। मैं कुंभ को इसी रूप में देखता हूं।

अनुभव बताता है कि जब समृद्धि आती है, तो वह सदुपयोग का अनुशासन तोड़कर उपभोग का लालच भी लाती है और वैमनस्य भी। **ऐसे में भविष्य का पूर्वाभास व कुछ सावधान लोग ही रास्ता दिखाते हैं।** ऐसे में जीवनवर्धक शक्तियों को जागृत होना पड़ता है। वे आपस में एकजुट होकर विचार–विमर्श करती हैं। समाधान खोजती हैं और अन्ततः गलत कामों को रोक देती हैं, अच्छे कामों को आगे बढ़ाती हैं।

कुंभ का व्यवहार :– गंगा, गोदावरी, शिप्रा ये सदियों से समृद्ध नदियां रहीं हैं। इस समृद्धि के आने पर इनके तट पर खेती करने वाले किसानों के मन में लालच आया, तो खेती खेत से उतरकर नदियों के पाट पर चली आई; जैसा कि आज भी सब जगह दिखाई देता है। सोचना चाहिए कि नदी और भूमि दोनों को मां का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया। दोनों ही पालक–पोषक हैं। अतः दोनों ही मां हैं। कभी इसी समाज ने इनके साथ व्यवहार के सिद्धांत तय किये थे। किन्हीं खास महीनों में भूमि को गर्भवती माना जाता था। इन महीनों में जुताई और खुदाई प्रतिबन्धित रहती है। नदी मां है, इसलिए इसमें मलमूत्र–गंदगी का त्याग वर्जित है। ये पूजनीया हैं। नदी को पूजनीया मानने वाला समाज भला मां के वक्षःस्थल पर हल चलाने की इजाजत कैसे दे सकता था? यही हुआ। नदी पाट कर खेती को लेकर विवाद बढ़ा। समाज ने ऋषियों को नदियों की पवित्रता और सुरक्षा की पहरेदारी सौंपी थी। ऋषि प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज ऋषियों के पास गया। ऋषियों ने कहा कि नदी अकेले न समाज की है, न ऋषियों की, यह तो सभी की साझा है। राज–समाज–ऋषि और प्रकृति के जीव–वनस्पति सभी का इस पर साझा अधिकार है। अतः इसकी समृद्धि और पवित्रता कायम रखने के लिए सभी को बैठकर निर्णय करना होगा। बस एक दस्तूर बन गया और राज–समाज और ऋषि–संत सभी निश्चित अवधि–अंतराल पर नदी

किनारे जुटने लगे। आज भी समाज किसी न किसी नाम से साल में कई बार अपनी–अपनी नदियों के किनारे जुटता ही है। कहीं इसका कारण छठ पूजा है, तो कही वसंतपंचमी, पोंगल और कहीं माघ तथा श्रावणी मेला। ऐसा माना जाता है कि कोई भी नदी करीब 150 बरस में अपनी धारा की दिशा और दशा में बदलाव का रुख करती है। संभवतः इसीलिए 144 बरस में महाकुंभ का निर्णायक आयोजन तय किया गया। महाकुंभ के निर्णयों की अनुपालना और निगरानी के लिए हर छह बरस पर अर्धकुंभ और बारह बरस पर कुंभ के आयोजन की परम्परा बनी।

कुंभ के वाहक :– यह सच है कि भारत में जब–जहां संकट दिखा कोई पुरुष, घटना या संदर्भ प्रेरक प्रतीक बनकर खड़ा हो गया, जीवनवर्द्धक शक्ति बन गया। इतिहास के पन्नों पर निगाह डालें तो राजा, प्रजा और ऋषि तीनों कहीं न कहीं अपने–अपने वर्ग की समझ, प्रेरणा का प्रतीक बनकर खड़े दिखाई देते हैं। जो कुंभ का अभिप्राय कभी न भूले; जिन्होंने कुंभ के विमर्श को कभी नहीं नकारा, कुंभ के वाहक बने; जो राज–समाज और ऋषि अपनी भूमिका को कभी न भूले, समाज ने उन्हे हमेशा याद रखा। बरस–दो बरस नहीं, हजारों बरस बाद भी।

जब उत्तर के मैदान में पानी का संकट था, तब राजा भागीरथ प्रतीक बने। राजा सगर के पुत्रों के रूप में 60 हजार की आबादी का कल्याण राजा भागीरथ के यश के कारण बना। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के वर्तमान नामकरण वाले इलाकों में जब कभी पानी संकट हुआ तो गौतम नाम के एक ऋषि प्रतीक बन सामने आया और गोदावरी जैसी महाधारा बह निकली। ब्रह्मपुराण में इस प्रसंग का जिक्र करते हुए गोदावरी को गंगा का ही दूसरा स्वरूप कहा गया है। विन्ध्य पर्वतमाला के उत्तर में बहने वाली गंगा भागीरथी कहलाई और दक्षिण की और बहने वाली गंगा... गोदावरी नाम से विख्यात हुई। इसे गौतमी गंगा भी कहा जाता है।

स्कन्दपुराण में वर्तमान आन्ध्रप्रदेश कभी नदीहीन क्षेत्र के रूप उल्लिखित है। दक्षिण के इस संकट में एक ऋषि का पौरुष प्रतीक बना। ऋषि अगस्त्य के प्रयास से ही आकाशगंगा दक्षिण की धरा पर अवतरित होकर सुवर्णमुखी नदी के नाम से एक जीवनदायी धारा बन गई। भगीरथ–एक राजा, गौतम–एक प्रजा तथा अगस्त–एक ऋषि तीनों ही नदी के अविरल प्रवाह के उत्तरदायी, तीनों ही रचना के प्रतीक! सचमुच! कभी भारत में नदियों की समृद्धि में सभी

साझेदार थे। हर भारतवासी के लिए उसकी अपनी नदी गंगा जैसी ही थी। वह उसे पूजनीया मानता था। यूं भी जहां गंगा नहीं है, वहां कांवड़ियों के कन्धे पर सवार होकर पहुंचती ही है।

आरती – उत्सव गंगा को अविरल–निर्मल नहीं बनाते, पवित्र होने का सन्देश देते हैं।

गंगा मैया की पवित्रता, निर्मलता, अविरलता की ही आरती होती थी। आज हम अपने मल–मूत्र एवं उद्योगों के विषैले कचरे गंगाजी में डाल रहे हैं। उसी जल की आरती–उत्सव कर रहे हैं। हमारे जीवन का सर्वोपरि उत्कर्ष काल ही आरती उत्सव होता था। पवित्रता से आनंद पाने की चाह में अविरल प्रवाह के पास जाकर शान्त सूर्यास्त काल की लालिमा में हमारे अन्दर का प्रकाश और दिव्य ज्योति का प्रकाश गंगा को रंगीन बनाता था।

दीपों की स्थिति के साथ रंग बदलकर गंगाजी की तरंगें हमें आच्छादित करती रहती थीं। वहीं गंगा मैया की आरती हमारी मातृत्व मान–सम्मान–भावना के साथ आनंद और उत्सवकारी बनती थी। आज हमारी मां गंगा बीमार हैं, लाचार हैं। अब उनका स्वयं का जीवन संकट में दिखाई दे रहा है। वहीं विलक्षण, प्रदूषणनाशनी, शान्ति देने वाली हमारी मां गंगा अब अपने बेटे–बेटियों के अपराधों से त्रस्त है। इनके दबाव में शक्तिहीन दिखाई देती हैं। इनकी गंदगी में दब रही हैं।

मां की मूल पवित्रता आज भी वैसी की वैसी ही है। पर गंगा का मूल स्वरूप बस उद्‌गम पर ही शेष है। जहां इनके जितने ज्यादा बेटे–बेटियां हैं, उतनी ही गंगा उनसे दुखी हैं। कुछ बेटे–बेटियां तो राक्षस बन गयीं हैं। वे तो अपनी गंदगी के साथ–साथ उद्योगों का विष भी मां गंगाजी के पेट में डाल रहे हैं। राक्षसों को रोकने की शक्ति आज के देवताओं में रही नहीं है, या ये संगठित नहीं हैं। देवताओं (संतों, सज्जन पुरुषों) का संगठन ही गंगा के गंगत्व की रक्षा कर सकता है। अभी तो तथाकथित देवता केवल गंगाजी में फूल–मालायें, पूजा–पाठ, आरती, उत्सव करके अपने धर्म–कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। इनको समझने, समझाने, मिलाने हेतु गुरुपूर्णिमा का शुभ काल देख कर काशी कुंभ आयोजित हुआ।

नौ दिवसीय काशी कुंभ में विविध स्थानों पर सम्पन्न कार्यक्रम

12.07.14– गंगा–यमुना की अविरलता निर्मलता हेतु श्री राजेन्द्र सिंह जी की अध्यक्षता में हनुमान मंदिर कनाट प्लेस नई दिल्ली से काशी कुंभ का

शुभारम्भ माननीय उमा भारती जी की उपस्थिति में हुआ। राजेन्द्र सिंह जी द्वारा गंगा सेवा की शपथ दिलाई।

13.07.14– गंगा–अविरलता–निर्मलता के कार्यों में विश्वविद्यालयों की भूमिका, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कैसे शुरुआत की जाये, इस पर सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयकों के साथ संगोष्ठी एवं काशी कुंभ में भागीदारी पर विचार–विमर्श। गंगा मैया की चिकित्सा में शिक्षकों और विद्यार्थियों की भूमिका तय करने का कार्यक्रम बना।

14.07.14– महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग में वाराणसी एवं गंगा सफाई अभियान परियोजना के भागीदारों के साथ कार्यशाला, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति के साथ काशी कुंभ आयोजन की तैयारी बैठक।

अस्सी घाट पर नाविकों, पुजारियों, व्यापारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ गंगा सफाई कार्य की समीक्षा, आगामी रणनीति पर चर्चा। गंगा पुत्र, नाविकों द्वारा सामुदायिक निर्णय (गंगातट शौचमुक्त किया जाना) पर चर्चा। गंगा में नाव भ्रमण।

15.07.14– मणिकर्णिका घाट पर गंगा सफाई हेतु शव दहन विषयक चिंतन–मनन एवं साफ–सफाई पर चर्चा।

स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानन्द जी सरस्वती, स्वामी श्री ज्ञान स्वरूपानन्द जी एवं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कार्यक्रम समन्वयकों के साथ तैयारी बैठक।

16.07.14– राजघाट पर गंगा सफाई हेतु कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। भावी कार्य योजना निर्धारण। सरकार से अपेक्षाओं पर गहन चिन्तन और निर्णय। बिंदुवार अपेक्षायें सरकार से सम्पन्न कराने का पत्रक तैयार किया गया।

17.07.14– बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 लालजी सिंह के साथ मिलकर तैयारी की चर्चा की गई। तत्पश्चात् गाजीपुर के जिला पंचायत भवन में पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर

के शिक्षकों तथा बैसो नदी के दोनों तरफ के 104 ग्रामों के ग्राम प्रधानों, मुख्य विकास अधिकारी व अन्य अधिकारियों के साथ बैसों नदी पुनर्जीवन संगोष्ठी। इसके पश्चात् बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कृषि संस्थान में एनएसएस के पदाधिकारियों, शिक्षकों, संस्थान के निदेशक श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह एवं विद्यार्थियों के साथ गंगा पुनर्जीवन के काम में राष्ट्रीय सेवा योजना सरकार और समाज के साथ मिलकर कैसे काम कर सकती है, इसकी रूपरेखा तैयार की गई।

18.07.14– प्रातः सत्र में काशी विद्यापीठ के राजर्षि पुरुषोत्तम टण्डन सभागार में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा गंगा के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक संदर्भों में गंगा नदी प्रबंधन योजना पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कुलपति श्री पृथ्वीश नाग की अध्यक्षता में किया गया। गंगा भूमि, गंगा हेतु ही उपयोग करने के लिए उसका सीमांकन, चिह्नीकरण, पंजीकरण करना तय हुआ।

द्वितीय सत्र में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना केन्द्र में प्राचीन शास्त्रों में गंगा विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्री अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी रहे। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता प्रो0 विन्दा प्रसाद मिश्र, कुलपति सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय ने की। इसमें, जहर–अमृत, गंगा अविरलता–निर्मलता की परिभाषा पारित हुई।

19.07.14 निर्णायक कुंभ–

कार्यक्रम के शुभारम्भ में उपस्थित सभी सहभागियों द्वारा सर्वप्रथम गंगा की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को बलिदान करने वाले स्वामी निगमानन्द जी हरिद्वार एवं स्वामी नागनाथ जी वाराणसी को दो मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात् संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रो0 जे0के0 पुण्डीर ने कहा कि जनसहभागिता से गंगा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। सहारनपुर की पावधोई नदी को वहां के समाज ने अविरल और निर्मल

किया है। इस छोटे उदाहरण से गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए सीख ली जा सकती है। गंगा को ठीक करने के लिए समर्पण की भावना को बढ़ाना होगा। वर्तमान समय में हम अपने दायित्वों से भटक गये हैं। इस काम के लिए विश्वविद्यालयों के अंतर्गत निर्मित संगठन जैसे एनएसएस, एनसीसी आदि के छात्र–छात्राओं को संवेदित कर इस कार्य की जिम्मेदारी दी जाये।

भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री संजय पासवान ने कहा कि सरकार गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के साथ सभी विषय विशेषज्ञों को सार्थक संवाद करने की आवश्यकता है।

गंगा समग्र अभियान के संयोजक बृजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि गंगा समग्र नदियों का संगम है, इसकी सेहत को ठीक करने के लिए गंगा के किनारे हरियाली को बढ़ाना होगा। कूड़ा–करकट प्रबंधन करके नदी की सेहत को ठीक रखा जा सकता है। कृषि में रासायनिकों के बढ़ते उपयोग को कम किया जाये जिससे जल प्रदूषण कम हो सके। गंगा को प्रोजेक्ट बनाकर ठीक नहीं किया जा सकता है। बल्कि समग्रता के साथ काम करने की जरूरत है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो0 आनंद ने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विश्वविद्यालयों की शक्ति को महत्वपूर्ण समझा जाये। विश्वविद्यालयों को युवा शक्ति के केन्द्र के रूप में देखा जाये तथा उन्हें इस काम में लगाया जाये।

पर्यावरण प्रेमी और भाजपा के उ0 प्र0 के नेता श्री विन्ध्यवासिनी कुमार ने कहा कि सरकार की मंशा नदियों को ठीक करने की है। बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इस काशी कुंभ में जो गंगा को अविरल व निर्मल करने के लिए सुझाव आयेंगे, सरकार उन सुझावों पर ध्यान देगी। यहां से जो भी सुझाव आयेंगे उनको आगे ले जाने का काम वह स्वयं करेंगे। भारत सरकार कुंभ की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी।

कार्यक्रम के संयोजक जल पुरुष श्री राजेन्द्र सिंह ने कहा कि आईआईटी के सात संस्थानों सहित अन्य संस्थानों ने मिलकर गंगा नदी

बेसिन प्रबंधन कार्ययोजना तैयार की है जिसके ऊपर उन्होंने सभी विशेषज्ञों के सुझाव मांगे। अन्तरमंत्रालयी समूह की गंगा पर्यावरणीय प्रवाह की रिपोर्ट वन्य जीव संस्थान देहरादून रिपोर्ट का भी उल्लेख किया। अन्त में रिपोर्ट प्रस्तुत हुई।

आईआईटी बीएचयू के समन्वयक प्रो0 प्रभात कुमार सिंह ने आईआईटी कन्सोर्टियम द्वारा तैयार रिपोर्ट के अंशो को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस रिपोर्ट पर लम्बी चर्चा दिनभर हुई। सभी ने इस रिपोर्ट पर अच्छे सुझाव दिये।

फादर आनंद ने कहा कि गंगा किसी एक धर्म विशेष की नहीं है बल्कि यह हम सभी की है। इसलिए गंगा की सेवा के लिए सभी के हाथ आगे बढ़ना चाहिए। सभी को गंगा प्रबन्धन–संरक्षण में जोड़ना होगा।

श्री अंशुमाली शर्मा ने कहा कि गंगा को 80 प्रतिशत गंदा उद्योगों व शहर के सीवर नालों का पानी करता है। यदि यह गंदा पानी गंगा जी में प्रवाहित न हो तो गंगा मैया में इतनी शक्ति है कि 20 प्रतिशत गंदगी तो अपने आप साफ कर लेती हैं। सरकार को इस गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए कार्य करना होगा। यह इस रिपोर्ट में आना चाहिए।

पूर्व नगर आयुक्त उदय नारायण तिवारी ने कहा कि शहरी विकास को नदियों के संरक्षण को जोड़ा जायें। नगरीय विकास का नदियों की सेहत में विशेष योगदान है। गंगा की सफाई का कार्य नगरपालिकाओं, पंचायतों का है। इन्हीं को अपने खाते से गंगा की सफाई करनी चाहिए।

बंगलौर से आये के0 चन्द्रमौली ने कहा कि गंगा को ठीक करने के लिए हमें अपने लालच को कम करना होगा। प्रकृति के प्रति अपनी संवेदना बढ़ानी होगी, जिससे प्रत्येक नागरिक को प्रदूषण–मुक्त पेयजल प्राप्त हो सके, नदियां अविरल और निर्मल बन सकें।

उत्तराखंड से आये कर्नल भार्मा ने कहा औद्योगिक घरानों को नदियों को प्रदूषित करने से प्रतिबंधित किया जाये। सरकार नदियों को नाले बनाने का कार्य उद्योगों द्वारा करवा रही है।

प्रो. यू.के. चौधरी जी काशी ने आई.आई.टी कन्सोरटियम की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहां इसमें बहुत कमियां है। मैंने इस पर अपनी राय लिखकर उमा भारती जी को दे दी है। यह रिपोर्ट गंगा को अविरलता–निर्मलता प्रदान कराने वाली नहीं है। **इसमें गंगा के शरीर का ज्ञान रखने वाले विद्वानों को शामिल नहीं किया गया है।** उनकी राय इसमें नहीं है। गंगा विज्ञान की समझ के बिना ही यह रिपोर्ट तैयार हुई है। इसमें बहुत सी बातें हैं। वे सब बातें एकेडेमिक ज्यादा हैं। गंगा मैया के स्वास्थ्य को सुधारने वाली नहीं हैं। अभी समय है, इसे सुधारा जा सकता है। यह कुंभ इसे सुधारने में मदद करता लेकिन रिपोर्ट तैयार करने वाले अन्तिम समय में इस कुंभ में शामिल नहीं हुए हैं। हम संगठित होकर भोलेनाथ का स्मरण करके गंगा कार्य में जुटे। **कुंभ निर्णय की पालना करें।** रिपोर्ट में सुधार करायें।

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग के डा0 संजय जी ने मां गंगा की निर्मलता व अविरलता में समाज के कार्यों की भूमिका पर प्रकाश डाला। समाज को जोड़ने पर जोर दिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय की रश्मि जी ने कहा कि गंगा को अविरल व

निर्मल बनाने के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत है। सबको मिलकर मां गंगा के कार्यों में जोड़ने वाला तन्त्र बनना चाहिए।

जल–जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्री संजय सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है मिलकर इस देश की नदियों को ठीक करने का कार्य शुरू करना चाहिए। जिसके उदाहरण दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिल रहे हैं।

प्रह्लाद गोयनका, गंगा मिशन, पश्चिम बंगाल ने कहा, गंगा को मैलामुक्त बनाने के साधन और शक्ति है। सरकार बस ठीक से काम करे तो तभी अविरलता–निर्मलता सम्भव है।

गंगा जल बिरादरी के मेजर हिमांशु ने कहा कि यह काशी कुंभ विभिन्न पृष्ठभूमियों के विज्ञान से अध्यात्म तक, सामाजिक कार्यकर्ताओं से शिक्षण एवं राजनीति तक के विशेषज्ञों का संगठन है जो निश्चित तौर पर रत्न प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। सभी के सुझाव कार्यक्रम में शामिल करने हेतु प्रो. पी.के. सिंह जी ने लिपीबद्ध किया। वे ही कुंभ के सुझाव विस्तार से लिखकर गंगा संसद काशी कुंभ को भेजें ऐसा निर्णय हुआ।

द्वितीय दिवस

दूसरे दिन की संगोष्ठी की शुरुआत पहले दिन के पुनरवलोकन के साथ की गई, जिसमें निकलकर आये प्रमुख सुझावों एवं देश के सात आईआईटी संस्थानों द्वारा गंगा नदी घाटी प्रबंधन योजना पर तैयार की गई रिपोर्ट के प्रमुख अंशों को डा0 (मेजर) हिमांशु द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् कार्यक्रम के ***मुख्य अतिथि स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी*** ने काशी कुंभ में हुई कुंभ की भावना के अनुकूल सार्थक व अर्थपूर्ण चर्चा पर हर्ष व्यक्त करते हुए देश में होने वाले हर कुंभ के साथ भविष्य में काशी में भी ऐसे काशी कुंभ मंथन का न्योता दिया। लोगों के व्यावसायिक व भौतिक दृष्टिकोण पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इस देश में "गंगा माई है, कमाई नहीं। संसाधन नहीं

संस्कृति है।" पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में यह समझने में असफल रही, जिसका फल जनादेश 2014 में उसने भुगता। आशा है कि अविरल व निर्मल गंगा का जनादेश लेकर आयी नई सरकार गंगा के कोप का भाजन नहीं बनना चाहेगी। गंगा को राष्ट्रीय सम्मान देकर अविरल–निर्मल बनायेगी।

मैग्सेसे अवार्डी जल पुरुष श्री राजेन्द्र सिंह ने जल और अमृत को अलग रखने की भारतीय दर्शन की विवेकपूर्ण परंपरा से सभा को अवगत कराया और नदी के स्वास्थ्य से मानव–जीव जंतु, देश, समाज, संस्कृति के स्वास्थ्य के परस्पर संबंधों पर प्रकाश डाला। इस स्वास्थ्य को बनाये रखने में राज, समाज व संतों से जिम्मेदारी निभाने का आवाहन किया।

पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री सरयू राय **ने कहा कि गंगा हमारी जीवनदायिनी हैं।** हमारे देश की सांस्कृतिक व धार्मिक धरोहर गंगा मैया को अपने मूल स्वरूप में लाने के लिए प्रयास करना होगा। रामबिहारी सिंह ने कहा कि जिस गंगा मैया को हरिद्वार के बैराज व टेहरी में बांध बनाकर रोक दिया गया हो उस गंगा को अविरल व निर्मल प्रवाहित होने की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं?

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रो0 हरिशंकर पाण्डेय ने कहा कि शास्त्रों में गंगा का अर्थ ही अविरल है, यानी बिना रुके चलना है। यदि उसकी अविरलता को रोक दिया जाए तो वह निर्मल नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि गंगा की निर्मलता को बनाने के लिए हमारे विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र–छात्रायें जागरूकता से काम करेंगे।

अमेरिका से पधारे वैज्ञानिक डा0 पेट्रिक मैकमारा ने कहा कि गंगा केवल भारत की ही नहीं है बल्कि समस्त विश्व को ईश्वर का वरदान है। यह दुनिया की नदियों में

सर्वोपरि है। इसे सर्वोपरी बनाकर रखना अब जरूरी है। इस कार्य में पूरी दुनिया को जोड़ने की जरूरत है।

डा0 अशोक सिंह के साथ आये स्थानीय लोगों ने सिर्फ चर्चा तक सीमित न होकर अस्सी नदी के उद्‌गम कंचनपुरा अमराखैरा में जमीनी मुहिम का आश्वासन दिया। ये गंगा में गन्दगी जाने से रोकेंगे।

काशी विद्यापीठ के एनएसएस के समन्वयक डा0 बंशीधर ने कहा कि गंगा के स्वास्थ्य के मुद्‌दे पर एनएसएस निरंतर चिंतित है। इसके नेता एक साथ मिलकर कार्ययोजना बनायेंगे।

डा0 एसबी सिंह ने कहा कि हम जैसे–जैसे विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी पीढ़ी के लोग नदी, तालाब, कुआं व बावड़ी आदि के बारे में भूलते जा रहे हैं। यह चिंता का विषय है। तालाब बिना नदी नहीं हो सकती है।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. वी. पी. सिंह, अध्यक्ष– **ग्लोबलाइजेशन एवं विकास अध्ययन केन्द्र** ने कहा कि पानी, प्रदूषण की समस्या एवं उसके उपाय की जानकारी के विषय प्राथमिक स्तर पर कोर्स में शुरू किये जायें। उन्होंने कहा कि नदी के संरक्षण के लिए गांवों में जनजागरण की आवश्यकता है। नदी के किनारे स्थित विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की एक समिति बनाकर उनको जिम्मेदारियां सौपी जाये।

डा0 हेमंत ने नदियों पर किये गये एक अध्ययन को प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारी नदियां आज इतनी प्रदूषित हो गई है कि इसका पानी नहाने लायक भी नहीं बचा। उन्होंने बताया कि 100 मिली. में 500 से 2500 बैक्टीरिया शुद्ध पानी में पाये जाते हैं। जबकि गंगा जी के पानी में 5 लाख से लेकर 12 लाख तक बैक्टीरिया मौजूद हैं जिस कारण

कॉलरा, कैंसर, डायरिया जैसी बीमारियों से हजारों लोगों की जान जा रही है।

प्रो0 अनिल अग्रवाल ने कहा कि गंगा क्षेत्र का सीमांकन कर उसके दोनों तरफ 100–100 मीटर पर फलदार वृक्षों का रोपण किया जाना चाहिए।

डा0 अभय सिंह ने कहा कि गंगा को अविरल व निर्मल करने के लिए हमें सर्वप्रथम गंगा–भक्तों को ढूंढ़ना होगा।

काशी कुंभ में गंगा के अविरल प्रवाह, गंगा की निर्मलता, जहर व गंगा के अमृत को उपस्थित सहभागियों के तीन समूह बनाकर सभी के सुझाव के बाद परिभाषित किया गया। बाद में सभी की सहमति से इसे पारित किया गया।

श्री लेनिन रघुवंशी ने कहा कि गंगा को अपनी खोयी गरिमा पुनः प्राप्त हो, क्योंकि गंगा के साथ हमारी संस्कृति जुड़ी है। यदि गंगा को निर्मल बनाना है तो सरकार को उद्योग एवं शहरों के गन्दे पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी होगी और उस पर पूरे मनोयोग से काम करके ही गंगा को निर्मल बनाया जा सकता है।

काशी कुंभ के आगे–

कार्यक्रम के अंत में देशभर से आये शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों, नदी प्रेमियों, सैन्य अधिकारियों एवं राजनेताओं को जल पुरुष एवं काशी कुंभ के प्रेरणास्रोत श्री राजेन्द्र सिंह ने आभार व्यक्त किया। मेहमान–नबाजी के लिए सक्रिय रहे आईआईटी के वैज्ञानिकों और विशेष तौर पर आकस्मिक स्थितियों में कार्यक्रम को सफल बनाने में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की विशिष्ट भूमिका की प्रशंसा की। साथ ही काशी कुंभ में प्रयाग कुंभ और गोदाकुंभ की रूपरेखा बनाने हेतु प्रो. बी.पी. सिंह को प्रयाग तथा राजेश पंडित को गोदाकुंभ आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपने के साथ गंगा मैया की अविरलता–निर्मलता का सन्देश लेकर आगे बढ़े।

काशी कुंभ का संकल्प

20 जुलाई 2014 वाराणसी

गंगा जीवन है और जीवन का मूल भी। अनेकानेक पौधों, चिड़ियों, मछलियों और अमृत समान पानी की थाती गंगा असंख्य लोगों की जीविका का आधार है। जब तक प्रकृति, गंगा और जीवन में सदाचार का रिश्ता रहा, गंगा साझी रही। हर 12 साल पर होने वाले महाकुंभ में प्रकृति और समाज में व्याप्त जहर और अमृत को अलग रखने के लिए गहन विचार (समुद्र) मंथन होता था। यहां बुराई–अच्छाई को अलग–अलग किया जाता था। जो पुण्य करना चाहते थे, साथ आते थे – राज, समाज और संत।

समयान्तर में लालची विकास ने गंगा अमृत में विष घोल दिया। लोगों ने विकास के फल तो ले लिए पर विष गंगा में छोड़ते गए। कुछ लोगों को फल अधिक मिले, अनेक को विष। उद्गम क्षेत्र में वन नष्ट किए। गंगा के प्रवाह को गंगोत्तरी से ही बांधना शुरू कर दिया। शहर बसाते गए और मल–मूत्र गंगा में बहाते रहे। बिजली से कल कारखाने चलाए और रसायन विष गंगा के हवाले कर दिया। तब, जब गंगा बिलकुल विषाक्त होने लगी तो आस्थावान समाज और संतों ने राज को आड़े हाथों लेना शुरू किया, और न्याय के लिए गुहार भी लगाई, जिसका एक मुकाम यह गंगा संसद बनी। पहली संसद, इलाहाबाद 2014 के प्रयाग कुंभ में आयोजित हुई। दूसरी गंगा संसद काशी कुंभ वाराणसी में आयोजित हुई।

पहली संसद का संकल्प दुहराते हुए गंगा जल बिरादरी, तरुण भारत संघ ने महात्मा गांधी विद्यापीठ में काशी कुंभ 12 जुलाई से 18 जुलाई तक तैयारी और 19–20 को गंगा संसद काशी कुंभ का आयोजन किया। इसमें कुल 200 संतों, राजनेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों ने भागीदारी की।

गंगा माँ, राष्ट्रीय नदी और व्यक्ति की अवधारणा

हमारे शास्त्रों में गंगा को माँ का दर्जा दिया और सरकार ने उसे राष्ट्रीय नदी का सम्मान। परन्तु आज न तो उसे माँ का प्रेम मिलता है और न ही राष्ट्रीय नदी होने का गौरव। गंगा के साथ सदाचार कभी का छूट गया। राष्ट्रीय नदी घोषित करने से हम अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय झंडे के लिए तो कानून है पर राष्ट्रीय नदी के लिए नहीं। सदाचार के लिए

संवैधानिक व्यवस्था करनी होगी और गंगा के अस्तित्व को अक्षुण्ण रखने के लिए आवश्यक है कि संविधान में उसे एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाय। दुनिया के कई देशों, यथा गुयाना, नीदरलैंड और फ्रांस की महत्वपूर्ण नदियों को व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। व्यक्ति का दर्जा देने पर कचहरी में जो मुकदमें आज दीवानी अदालत में होते हैं उनमें से कुछ फौजदारी अदालत में जा सकते हैं। अगर मल–मूत्र बिना उपचार के सीधे गंगा में प्रवाहित होता है तो नगर आयुक्त पर फौजदारी लगायी जा सकती है। भारत के संविधान में नदियों के वर्णित दायित्व यही संकेत देते हैं। **गंगा संसद, काशी कुंभ संकल्प लेती है कि गंगा के अस्तित्व को संविधान में एक व्यक्ति का दर्जा दिलायेगी।**

गंगा, नगर, नागरिक और संसाधन

नगर बनने से नागरिक तो बनता है पर उसके अधिकारों का, सत्ता का अपहरण राज्य कर लेता है। अब नागरिक का मलमूत्र राज्य की संपत्ति हो जाता है और उसके उपचार की जिम्मेदारी भी राज्य की हो जाती है। नगर प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाते जाते हैं और नयी–नयी तकनीक अपनाकर संसाधनों का उपयोग करते हैं और दूसरी ओर उससे उत्पन्न विष को गंगा में प्रवाहित करते हैं। विकास के इस मॉडल के अंतर्गत नगर विकसित होता रहता है और गंगा दूषित। एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कहा है कि, "Ganga is turning into an effluent of 'the affluent", दूसरे शब्दों में गंगा अमीरों के लिए विलासिता का साधन बनती जा रही है।

निर्मल गंगा

हम सोचते हैं कि गंगा को निर्मल रखने की जिम्मेदारी राज, समाज और संतों की साझा जिम्मेदारी है। प्राचीन काल में संत अपनी जिम्मेदारी समझते थे और नदियों के उद्‌गम पर संतों का निवास होता था। उन्होंने अपना यह दायित्व छोड़ दिया। वे चुप रहे जब बनारस के नगर आयुक्त हॉकिन ने 1932 में सीवर को सीधे गंगा में डालने का आदेश दिया। समाज भी चुप रहा। हॉकिन के आदेश का अनुपालन स्वतंत्रता के बाद भी नगर आयुक्त करते रहे। शोर मचाने पर या सरकार की अपनी चेतना जागने पर मल–जल उपचार संयंत्र (STP) लगाये जाने शुरू हुए। आधुनिक तकनीक का तकाजा था कि (STP) के ऐसे संयत्र बिजली से चलने वाले हों और बिजली के अभाव में डीजल से चलें। लगातार चलते रहें। नहीं चले तो काम ठप। मल–जल साफ

न होगा और सीधे गंगा में जायेगा। इस तकनीक में सदाचार कम और अनाचार की संभावनायें बहुत हैं। बड़ी तकनीकों के सामने सरकारी कर्मचारी, समाज सब बेबस दिखायी देते हैं।

गंगा किनारे पिछले 27 वर्षों में 40 से अधिक S.T.P. बनाये गये जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। करना भी नहीं था। बिजली और डीजल बहुत मंहगे बिकते हैं। गंगा के लिए मानवीय दायित्व का अहसास ऐसे नगरों में बिल्कुल न रहा। डीजल के कई चोर पनपे और गंगा मैली होती गई। आज से कई साल पहले बनारस में बाहर से आने वाले यात्री नाव से गंगा पार कर शौच करने जाते थे। गंगा का गंगत्व शहरीपन का लालच लील गया। पहले तो लोग गंगा में डुबकी लगाने के पहले घर से स्नान करके आते थे, क्योंकि लोग पुण्य कमाने आते थे, गंदगी और पाप धोने नहीं।

मल–जल उपचार संयंत्र की तकनीक में थोड़ा–सा भी गंदा पानी पूरी नदी को गंदा कर सकता हैं। जिस तरह से थोड़ा–सा जामन दूध की बड़ी मात्रा को दही में परिवर्तित कर देता है उसी तरह STP से निकला थोड़ा–सा भी गंदा पानी पूरी गंगा को दूषित कर देता है। रेती और मिट्टी में जब तक पानी 40 किमी. तक न चले, वह साफ नहीं हो पाता। जगह–जगह पर प्रदूषण होने के कारण नदी साफ नहीं हो पाती है। इन परिस्थितियों को देखते हुए **गंगा–संसद ने संकल्प लिया कि STP की स्थापना व संचालन व्यवस्था की जिम्मेदारी जनता अपने हाथ में ले ले और पानी को इतना साफ करे कि उसे निर्बाध खेती व बागवानी के काम में लाया जा सके। यह भी संकल्प लिया गया कि गंगा किनारे नगरों में जनता वाटर–आडिट करेगी, जिसमें वो अपने जल संस्कारों की स्वयं विवेचना करेगी।**

अविरल गंगा

गंगा को पानी देने वाली उत्तराखण्ड की नदियों पर 268 बाँध बनाने का प्रस्ताव है। 90 पर स्वीकृति दी जा चुकी है और 8 बांधों पर काम जारी है। अधिकतर बाँध या तो निजी हैं या सरकार और निजी भागीदारी में (PPP) बनाये जा रहे हैं। यानी संसाधनों का अब निजीकरण होगा और गंगा अमृत बेंचा जायेगा। बीलांगणा नदी इस प्रकार बेच दी गयी है। गंगा की अविरलता सुनिश्चित कराने के लिए 2008–09 में हुए जन–आंदोलन के परिणामस्वरूप भागीरथी नदी की अविरलता सुनिश्चित हुई है। गंगोत्तरी के नीचे बन रहे

भैरव घाटी, लोहारी नागपाला और पाला मनेरी बाँध परियोजनाओं को निरस्त कर दिया गया है तथा गोमुख से उत्तरकाशी तक 135 किलोमीटर तक भागीरथी नदी का क्षेत्र संवेदनशील घोषित करके कोई भी निर्माण कार्य नहीं करने का भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने आदेश दिया है। इसी प्रकार अलकनंदा पर बन रही श्रीनगर बाँध एवं अन्य बाँधों को निरस्त कराने हेतु आंदोलन चल रहा है। कोटलीभेल और विष्णुगाड आदि परियोजनाओं का काम भी रुक गया है।

बाँधों के प्रस्तावों के Environmental Impact Assessment (EIA) कराये जाते हैं और फिर स्वीकृति दी जाती है। गंगा–संसद संकल्प लेती है कि ऐसे किसी भी बाँधों का निर्माण न होने देंगे। साथ ही ये भी संकल्प लिया कि EIA की अवधारणा को सिरे से खारिज करते हैं। और जो हो चुके हैं उनका पब्लिक आडिट (सामाजिक अंकेक्षण) करेंगे।

गंगा–राज और न्याय व्यवस्था

बी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित अंतर मंत्री समूह गंगा प्रवाह रिपोर्ट आ गई है जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नैसर्गिक प्रवाह बनाये रखने के लिए बाँध नही बने। इन नदियों में अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी, विष्णुगाड शामिल हैं। हर नदी की फितरत होती हैं कि अपना प्राकृतिक प्रवाह बनाये रखे जहाँ चाहें, जब चाहे जाये। आधुनिक अर्थसत्ता ने प्रकृति को मानव से अलग किया फिर उसका वस्तुकरण कर दिया और स्वतः वह बाजार में खरीद–फरोख्त की वस्तु बन गयी। नियंत्रण करने की प्रवृत्ति ने नदी की मस्त व अविरल धारा को वर्गों (categories) में बांट दिया। नदी का प्रवाह आधार क्षेत्र, बाढ़ क्षेत्र और उच्च बाढ़ क्षेत्र में बांट दिया। स्मरण रहे ये सभी क्षेत्र मिलकर नदी बनाते हैं। अब यह है कि औपनिवेषिक कानून का सहारा लेते हुए माननीय न्यायालय उच्चतम बाढ़ बिन्दु से 500 मीटर तक निर्माण नहीं करने का आदेश दे पाता है। व्यापक दृष्टि के अभाव में हम नदी की अवधारणा को ही संकुचित करते जा रहे हैं। **काशी कुंभ संकल्प लेता है कि प्रकृति और मानव का साहचर्य पुनः स्थापित करेंगे। गंगा की अविरल धारा सुनिश्चित करने के लिए गंगा की भूमि गंगा के लिए छोड़ दी जाय तथा गंगा के क्षेत्र का चिह्नीकरण एवं सीमांकन किया जाय।**

काशी कुंभ ने संकल्प लिया कि ऊपरोक्त किसी नदी पर

बांध न बनने देंगे। गंगा के जलग्रहण क्षेत्र में बन रहे सभी बाँधों के निर्माण पर सरकार तत्काल रोक लगाये और श्रीनगर में अलकनंदा पर बनाये जा रहे बाँध को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाय। **संकल्प लिया कि गंगा के उद्‌गम क्षेत्र में बाँज (ओक) के सघन वृक्ष लगायेंगे और कछार में भी पंचवटीय वृक्ष यथा पीपल, बरगद, गूलर, कदम्ब और ऑवला लगायेंगे। और वहाँ प्राकृतिक वन को पनपने का अवसर सुनिश्चित करेंगे।** यह कुंभ का अवसर गंगा की अविरलता सुनिश्चित कराने हेतु एक आन्दोलन को जन्म दे सके ऐसी संभावनाओं को तलाशने और गंगा की अविरलता बनाने के लिए वातावरण निर्माण का कार्य जारी हैं। **अंतर मंत्री समूह ने गंगा की अविरलता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। लेकिन यह रिपोर्ट दबा दी गई है।**

गंगा और आधुनिक खेती

गंगा की अविरलता और निर्मलता को आधुनिक खेती ने भी बिगाड़ा है। नहरों के कारण अविरलता पर प्रभाव पड़ा और कीटनाशकों के कारण गंगा की निर्मलता भी प्रभावित हुई। आधुनिक खेती बाजार के लिए होती है इससे खाद्य संप्रभुता का क्षरण हुआ है। **गंगा संसद ने संकल्प लिया कि खाद्य संप्रभुता हेतु जैविक कृषि को अपनायेंगे।**

गंगा–शिक्षा और शोध

गंगत्व के संस्कार फिर स्थापित करने हेतु काशी कुंभ ने दो संकल्प लिए। पहला, **गंगा पर एक पाठ्यक्रम विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चले।** दूसरा, **गंगा के वैकल्पिक पहलुओं पर शोध कार्य हेतु राष्ट्रीय शोध संस्थाओं के साथ समन्वय किया जायेगा।**

गंगा है तो कल है

गंगा संसद की अवधारणा है कि गंगा है तो कल है। चिंता है कि, कल काल कवलित न हो जाए। प्रकृति पर विजय–यात्रा में लोगों ने अपनी सत्ता राज को सौंप दी और राज और समाज बेलगाम प्रकृति का दोहन करने लगे और लालची विकास की यात्रा पर चल पड़े। इस दोहन में गंगा–अमृत को बाँधा गया और उसमें विष मिलाया जाने लगा जो निरंतर बढ़ता जा रहा है।

काशी कुंभ संकल्प लेता है कि, गंगा की आस्था, निर्मलता और अविरलता की रक्षा करेंगे और गंगा को काल–कवलित न होने देंगे।

काशी कुंभ की सरकार से तत्काल अपेक्षाएं

12 से 20 जुलाई तक वाराणसी में राज, समाज, संतों व वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से गंगा की अविरलता, निर्मलता, जीवन के जहर व अमृत की परिभाषा को 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में पारित कर निर्णायक अपेक्षाओं के साथ काशी कुंभ सम्पन्न हुआ। कुंभ के निर्णयात्मक सत्र में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया कि अब परम्परागत कुंभ में जीवन के जहर को अमृत से अलग रखने के विधि–विधान पर मंथन करके निर्णय करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इस हेतु नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और इलाहाबाद के कुंभ से पूर्व काशी कुंभ आयोजित करना तय हुआ।

कुंभ में शामिल हुए सभी विचारकों ने यह स्वीकार किया कि कुंभ के शुभारम्भ से नदियों (गंगा, यमुना, शिप्रा, गोदावरी) का सम्मान था और उनको शुद्ध सदानीरा बनाये रखने की समाज, राज, ऋषियों की जिम्मेदारी थी। इसी हेतु कुंभ में 12 साला योजना निर्मित होती थी। अब वह चिंतन– मंथन कुंभ से हट गया है। अब समसामयिक नये चिंतन–मंथन की आवश्यकता है। यही कुंभ में होना आवश्यक है।

अविरलता

अविरल प्रवाह का अर्थ है– नदी जल का निरंतर प्रवाह, अर्थात् नदी जल के प्रवाह को पूरे प्रवाह–मार्ग में कहीं भी अवरुद्ध न किया जाए। जिससे नदी अपने उद्‌गम से गंतव्य तक अपने जल और अन्य मूल तत्व को निर्बाध पहुंचा सके और जल–जन्तु गंतव्य से चलकर उद्‌गम तक पहुंच सकें।

निर्मलता

निर्मल प्रवाह का अर्थ है– जल–प्रवाह–मार्ग में किसी भी प्रकार से हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ अथवा बाह्य द्रव्य (ठोस, द्रव अथवा गैस) के मिश्रण को सर्वथा प्रतिबंधित होकर ही निर्मल होगी।

जहर

जहर का अर्थ है–जीवन को नष्ट करने वाला। मां गंगा की सेहत बिगाड़ने वाले रसायन या द्रव्य उद्योगों से निकलकर गंगा में मिलने वाला जहर है।

अमृत

गंगा के प्रवाह का गंगत्व, ब्रह्मद्रव्य हमारे जीवन की शक्ति को सुरक्षित

करता है। इसलिये भारतीय अपने अन्तिम समय दो बूंद गंगाजल अपने कंठ में पाने की चाह रखते हैं।

काशी कुंभ में पधारे गंगा प्रेमियों की सरकार से अपेक्षाएं–

- अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की भांति राष्ट्रीय नदी के प्रति सम्मान व व्यवहार में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कायदे–कानून, कार्य व ढांचागत व्यवस्था को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार इसका एक प्रारूप तैयार करे और उसपर जनसहमति ले।
- गंगा रिजर्व एरिया घोषित तथा संरक्षित किया जाये।
- नदियों को समृद्ध करने वाली गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो। नदी–भूमि का भू–उपयोग किसी भी परिस्थिति में रूपान्तरित व हस्तान्तरित करना अवैध माना जाये।
- उपयोग करने के पश्चात् छोडा गया शोधित–अशोधित जल किसी भी प्राकृतिक धारा... नालों आदि में डालना पूरी तरह प्रतिबन्धित हो।
- प्रत्येक नदी धारा विशेष के लिए पारिस्थितिकीय प्रवाह के विशेष मानक तय किये जायें।
- वर्तमान व भावी प्रत्येक नदी जल परियोजना में पारिस्थितिकीय प्रवाह की जीवंतता सुनिश्चित की जाए।
- बिजली की जरूरत व उत्पादन की सीमा तो तय करनी ही होगी।
- नदी जोड़ परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर समाज को नदियों से जोड़ने का प्रभावी तंत्र बनाने की पहल करें।
- प्रस्तावित प्राधिकरण में सरकार, समाज व प्रकृति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।
- सरकार–समुदाय–प्रकृति की सहभागिता पर आधारित नदी घाटी प्रबन्धन को लागू करें।
- गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाये रखने के लिए सभी गलत औद्योगिक, व्यवसायिक एवं तथाकथित विकासीय गतिविधियों को बंद किया जाए।
- तत्काल गंगा पर निर्मित किए जा रहे अविरल धारा को बाधित करने वाले बांधों की पुनर्समीक्षा की जाए और नये बांधों/अवरोधों का निर्माण होने से रोका जाए।

- पहले सेवा फिर पूजा के सूत्र को व्यवहार में लाने के लिए आरती एवं अन्य उत्सवों के लिए गंगा मइया चिकित्सा काल में केवल मां के अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु अपने घरों, मंदिरों एवं गांवों में ही गंगा–अर्चना की जाए।
- कांवड़ियों के तीर्थाटन को पर्यटन में बदलने पर रोक लगे। कांवड़िये तीर्थ यात्रियों के संस्कार और मर्यादा का पालन करें।
- गंगा के गंगत्व का मानव लालच ने खेती और उद्योग में उपयोग करना शुरू किया। गंगाजल, गंगा में गंगत्व की तरह प्रवाहित होवे। मानवीय और औद्योगिक प्रदूषित जल गंगा में प्रवाहित नहीं होवे।
- गंगा जी की मर्यादा और सम्मान पूर्ण रूप से सुरक्षित हो इस हेतु यह काशी कुंभ अविरल होकर सरकार को मदद् करने की घोषणा के साथ सरकार से तत्काल अपेक्षित कदमों को उठाने का आग्रह करता है।

तत्काल अपेक्षित कदम :–

1. स्पष्ट करें कि गंगा को **राष्ट्रीय प्रतीक अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय नदी घोषित** किया गया है, अथवा नहीं?
   यदि नहीं तो ऐसा कर इसकी वैधानिक प्रक्रिया पूरी करें तथा एक राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा के परिचय, महत्व व इसके प्रति जरूरी अनुशासन को प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक **शिक्षा पाठ्यक्रमों में एक जरूरी पाठ के रूप में शामिल करने के निर्देश दें।**
2. अन्य प्रतीकों की भांति राष्ट्रीय नदी के प्रति सम्मान व व्यवहार में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए कायदे–कानून, कार्य व ढांचागत व्यवस्था को अन्तिम रूप देने से पहले सरकार इसका एक प्रारूप तैयार करे और उस पर जन सुनवाई व रायशुमारी कर ईमानदार तरीके से जनसहमति ले। गंगा के राज्य हिन्दी भाषियों की बहुलता वाले राज्य हैं। अतः मूल प्रारूप हिन्दी भाषा में ही तैयार हो।
3. कार्यवाही के दौरान गंगा में सिर्फ स्वच्छ पानी जाने की मांग के उत्तर में पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री ने कोई ठोस निदान प्रस्तुत करने के बजाय कहा– 'प्रदूषण राज्य का विषय है।' यदि राष्ट्रीय नदी घोषित होने के बावजूद गंगा की स्वच्छता, शुद्धता और पवित्रता केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच जवाबदेही के बंटवारे में फंसी रही तो गंगा के राष्ट्रीय नदी होने पर फिर प्रश्न उठेंगे। अतः जरूरी है कि राष्ट्रीय

प्रतीकों की श्रेणी में लाने के बाद राष्ट्रीय नदी–गंगा और उसकी सहायक धाराओं को वैधानिक तौर पर राज्य नहीं, बल्कि केन्द्र का विषय बनाया जाये।

4. गंगा और उसकी सहायक नदियों के बाढ़ क्षेत्र की पहचान एवं सीमांकन कर उन्हें टाइगर रिजर्व की तर्ज पर गंगा रिजर्व एरिया घोषित तथा संरक्षित किया जाये।
5. गंगा रिजर्व एरिया की सीमा में होने वाली सार्वजनिक महत्व की समस्त गतिविधियां व परियोजनाएं सीधे–सीधे गंगा नदी प्राधिकरण के नियंत्रण में हो। इसमें किसी अन्य विभाग, आयोग, प्राधिकरण अथवा सरकार का किसी भी परिस्थिति में दखल न हो। यह व्यवस्था किसी राजनैतिक दल अथवा अधिकारी के आने–जाने से प्रभावित न हो। इस सम्बन्ध में पक्के कानून बना दिये जाएं।
6. गंगा रिजर्व एरिया में नदियों के तट पर होने वाली धार्मिक–सामाजिक गतिविधियों तथा धार्मिक व सार्वजनिक महत्व के परिसरों के संचालन हेतु सरकारी–सामुदायिक–सहभागिता पर आधारित प्रबन्धन को लागू करें।
7. कानून से यह सुनिश्चित किया जाये कि नदियों के प्रवाह के सर्वोपरि बाढ़ बिन्दु के दोनों और गंगा के मामले में 500 मीटर तथा उसकी सहायक नदियों के मामले में 300 मीटर चौड़े क्षेत्र को नदी भूमि मानकर उसे जलसंचयन तथा स्थानीय जैव विविधता के अनुकूल वनस्पति क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये।
8. नदी भूमि क्षेत्र का भू–उपयोग प्रत्येक परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ नदियों को समृद्ध करने वाली गतिविधियों के लिए ही हो। नदी भूमि का भू उपयोग किसी भी परिस्थिति में रूपान्तरित व हस्तान्तरित करना अवैध माना जाये। पुरातत्व व धार्मिक आस्था की दृष्टि से संवेदनशील पूर्व निर्मित स्थाई निर्माणों को छोड़कर नदी भूमि पर किसी अन्य उपयोग हेतु पूर्व में किये गये रूपान्तरण व हस्तानान्तरण को रद्द कर स्थाई निर्माण ध्वस्त किये जायें और उस भूमि को मूल स्वरूप में लाना सुनिश्चित किया जाये। भविष्य में नदी भूमि पर तय भू–उपयोग के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग हेतु नवनिर्माण प्रतिबन्धित हो। चाहे वह निर्माण धार्मिक अथवा सामुदायिक उपयोग के नाम पर ही क्यों न

प्रस्तावित हो। साथ ही तय करें कि नदियों को **डम्प एरिया के तौर पर इस्तेमाल करना बंद हो।** नदी भूमि पर किसी भी तरह की स्थाई अथवा अस्थाई व्यावसायिक गतिविधि पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित हो।

9. तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद किसी भी फैक्ट्री तथा नगरपालिका क्षेत्रों में लगे जल–मल शोधन संयंत्रों से निकला पानी ऐसा नहीं पाया गया है, जो स्नान करने अथवा पीने योग्य हो। सरकारी दस्तावेज स्वयं स्वीकारते है कि हमारे मलशोधन संयंत्र मानक गुणवत्ता के 1/10 गुणवत्ता स्तर के अवजल की निकासी कर रहे हैं। ऐसे पानी के नदी व भूजल में मिलने से गंगा व सहायक नदियों के भीतर जल–जीव, वनस्पति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। इन धाराओं के किनारे रहने वाली आबादी में कैंसर, दमा, किडनी, विकलांगता और मृत्यु के शिकार बढ़े है। अतः जरूरी है कि किसी भी उद्योग, नगरपालिका, होटाल, अन्य उपक्रमों व रिहायशी क्षेत्रों द्वारा उपयोग करने के पश्चात् छोड़ा गया शोधित–अशोधित जल किसी भी प्राकृतिक धारा... नालों आदि में डालना पूरी तरह प्रतिबन्धित हो।

   मानक स्तर तक शोधन के बाद ऐसे जल–मल को खेती, बागवानी अथवा उद्योगों में पुनःउपयोग के लिए प्रोत्साहन व ढांचागत निर्माण की व्यवस्था हो।

10. प्रदूषकों को आर्थिक रूप से दण्डित करने से सम्बन्धित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति... निर्देशों के स्थान पर जल वायु... पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रावधानों के अनुसार प्रदूषण के अपराधी को हत्या के मामले जैसी सजा सुनिश्चित हो।

11. गंगा और उसकी सहायक धाराओं में उनके मूल प्रवाह जैसे रासायनिक–भौतिक गुण और उन्हें समृद्ध करने वाली जैव विविधता को हासिल करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक नदी धारा विशेष के लिए पारिस्थितिकीय प्रवाह के विशेष मानक तय किये जायें और उन्हें हासिल करने का समयबद्ध लक्ष्य सुनिश्चित किया जाये।

    गंगा जल बिरादरी द्वारा गठित गंगा ज्ञान आयोग की मान्यता है कि भागीरथी में लोहारी नाग परियोजना के मामले में इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट (iwmi) की रिपोर्ट सं.107 में दिए प्रवाह अवधि

संबध (FDC-FLOW DURATION CURVE) के 27 बिन्दुओं को आधार बनाकर जो तरीका सुझाया है, वह उचित है। इसे पूरी गंगा नदी पर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए।

12. धरती की सतह पर बहने वाली जलधाराएं शरीर में मौजूद नाड़ी तंत्र की तरह होती है। इन पर खड़े किये गये अवरोधों ने गंगा नदी व जल जीवों को तो बीमार किया ही है; उसके आस–पास की आबादी, खेती व वनस्पति पर भी संकट पैदा किया है। टिहरी का भूगोल आशंका के घेरे में है। अनूपशहर की डॉलफिन का आंकड़ा अंगुलियों पर गिना जा सकता है। मगरमच्छ व कछुए न मालूम कहां गए? फरक्का बैराज के चलते बिहार के मोकामा–बड़हिया ताल के 1062 वर्ग कि.मी ताल क्षेत्र की रबी फसल का संकट खतरनाक है। इन अवरोधों पर लगाम लगे।

13. सरकार को चाहिए कि देश में पहले से चल रही सभी निजी व सरकारी पनबिजली व सिंचाई परियोजनाएं जब तक अपने द्वारा मूल रूप से प्रस्तावित उत्पादन लक्ष्य को 100 फीसदी प्राप्त नहीं कर लेतीं, तब तक नदियों पर किसी नई पनबिजली–सिंचाई परियोजना को मंजूरी न दी जाये। जिन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन उनका निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, अथवा निर्माण प्रारम्भिक दौर में है, ऐसी सभी निजी व सरकारी परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाये।

नीतिगत तौर पर सरकार को जलवैज्ञानिकों के साथ मिलकर तय करना होगा कि वह किसी धारा विशेष के पारिस्थितिकीय प्रवाह और जीवन्तता को बनाये रखते हुए अधिकतम कितनी बिजली, किन स्थानों पर व कैसे तकनीकी ढांचे के साथ बनाने की मंजूरी दे सकती है। वर्तमान व भावी प्रत्येक नदी जल परियोजना में पारिस्थितिकीय प्रवाह की जीवंतता सुनिश्चित की जाए।

14. भारत में तमाम प्राकृतिक सम्भावनाओं के बावजूद सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों व अनुशासित उपयोग को लोकप्रिय बनाने में असफल रही है। इसके लिए समग्र प्रयास, तकनीकी उन्नयन उपकरणों की सहजता से उपलब्धता और प्रचार की आवश्यकता हैं। देश को तय करना होगा कि आखिर उसे अपने उपयोग के लिए न्यूनतम कितनी बिजली चाहिए और तदनुसार बिजली का अनुशासित

रूप कैसे सुनिश्चित हो। बिजली की जरूरत व उत्पादन की सीमा तो तय करनी ही होगी।

15. गंगा नदी घाटी क्षेत्र में आजीविका के लिए खेती व प्रकृति पर निर्भरता घटाये बगैर न्यूनतम प्राकृतिक दोहन सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है। अतः सरकार गंगा नदी घाटी क्षेत्र में शिक्षा, परम्परागत कारीगरी तथा सेवा उद्यम सम्बन्धी कौशल–क्षमता–विकास व रोजगार की विशेष ढांचागत परियोजनाएं व पैकेज जारी कर इसे प्रदूषण रहित तीर्थ–पर्यटन व सेवा क्षेत्र के रूप में **विकास का स्पेशल रिवर जोन मॉडल** विकसित करें।

16. कई राज्यों द्वारा पॉलीथीन कचरे से तैयार पॉलीथीन थैलियों को प्रतिबन्धित किया गया है। बावजूद इसके इनका उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। नदियों में आने वाले कचरे में पॉलीथीन कचरा एक खतरनाक अवयव है। सरकार इस पर लगाम लगाये।

17. गंगा में हर वर्ष लगभग 1.15 लाख टन फर्टिलाइजर व कीटनाशक प्रवाहित किये जाते हैं। आज दुनिया में जैविक कृषि उत्पादों की बड़ी मांग है। सरकार कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के बजाय प्रारम्भिक तौर पर कम से कम गंगा रिजर्व एरिया में तो भारत की परम्परागत जैविक खेती, असिंचित खेती तथा पानी की कम खपत वाली फसलों को व्यापक स्तर पर स्वीकार्य बनाने के लिए अपने खजाने खोल दे। वह जैविक तथा परम्परागत उत्पादों के उत्पादन से लेकर उचित मूल्य पर बिक्री तक की एक सुनिश्चित व्यवस्था करे। इस मांग को जनाभियान के तौर पर क्रियान्वित किया जाये।

18. सब जानते हैं कि नदियों का पानी सिर्फ H_2O नहीं होता। नदी विशेष की मिट्टी, हवा, प्रकाश, वनस्पति, जल–जीव, सतह का ढाल, प्रवाह की गति और जल की विशेष आण्विक संरचना आदि मिलकर नदी विशेष के पानी में विशिष्ट गुणों की रचना करते है। गंगा जल इसका एक अनुपम उदाहरण है। सच्चाई यह है कि अलग–अलग भू सांस्कृतिक क्षेत्र की नदियों को आपस में जोड़ना... दो भिन्न ब्लड ग्रुप वाले मनुष्यों के खून को एक के शरीर से दूसरे में प्रवाहित कर विकृति पैदा करने जैसा काम है। इसे समझकर ही स्पेन की सरकार ने अपने यहां प्रस्तावित नदी जोड़ योजना को निरस्त किया। सोवियत

संघ में भी नदी जोड़ योजना पारिस्थितिकी पर कुप्रभाव व खारे पानी की समस्या के कारण अरबों रुपये फूंक देने के बाद बंद कर देनी पड़ी। इससे सबक लेते हुए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि वह नदी जोड़ परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर समाज को नदियों से जोड़ने का प्रभावी तंत्र बनाने की पहल करें; ताकि आने वाली सरकारें इस रास्ते पर आगे बढ़ सके।

ढांचागत मांग :–

19. ऊपरोक्त कदमों नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन व अनुपालना में जन–भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि प्रस्तावित प्राधिकरण में सरकार के साथ–साथ निजी नहीं, बल्कि समुदाय समाज व प्रकृति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। प्रामाणिक तौर पर हम कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र... निजी लाभ के लिए काम करता है और सरकार, समुदाय व प्रकृति सामान्यतः सभी के साझे शुभ के लिए काम करते हैं। अतः गंगा का गौरव लौटाने के लिए भी सरकार 'सरकार–समुदाय–प्रकृति की सहभागिता पर आधारित प्रबन्धन' को लागू करे।

    गंगा प्रवाह के पांच राज्यों के साथ–साथ गंगा बेसिन के अन्य राज्यो तथा गंगा के पानी का सीधे उपयोग करने वाले प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की भी प्राधिकरण में भागीदारी हो, केन्द्र में संबधित विभागों के केन्द्रीय मंत्री भी प्राधिकरण के सदस्य हों।

    ऋषि... प्रकृति का प्रतिनिधि होता है। भारत के चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम गंगा की मूल भागीरथी व अलकनन्दा धारा क्षेत्र में स्थित सर्वोपरि तीर्थस्थल है। इसकी मान्यता निर्विवाद है। अतः हम बद्रीनाथ धाम के पूज्य शंकराचार्य अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति की प्राधिकरण में पदेन–सदस्यता हेतु मांग करते हैं।

20. सामाजिक–पर्यावरणीय संगठनो–संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे सामाजिक–वैज्ञानिक नेतृत्व को प्राधिकरण में बतौर सदस्य शामिल किया जाये, जिनके पास पानी–पर्यावरण की सामाजिक इंजीनियरिंग का जमीनी ज्ञान, जन जुड़ाव का कौशल तथा राष्ट्रीय सरोकार हो।

21. राज्य स्तर पर गंगा के प्रति निष्ठावान सामाजिक पानी कार्यकर्ता, जल जीव, कृषि विशेषज्ञ व आवश्यक रूप से सभी धर्मों के एक–एक

प्रतिनिधि, सम्बन्धित हाईकोर्ट का एक जज, एक मीडिया प्रतिनिधि, एक संसद प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के अधिकारी व राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल कर गंगा नदी घाटी प्राधिकरण राज्य प्रखण्डों का गठन किया जाये।

प्रखण्ड संचालक मंडलों की भूमिका अदा करेंगे। इनमें हर हाल में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या सरकारी सदस्यों की संख्या से अधिक हो।

नारी का नीर से गहरा रिश्ता है। अतः इन प्रखण्डों में महिलाओं की सम्मानजनक संख्या में भागीदारी सुनिश्चित हो।

प्रत्येक राज्य में सम्बन्धित प्रखण्डों की सहमति से गठित विधिक एकांश को सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त हों।

22. राज्य प्रखण्डों की तर्ज पर ही प्रत्येक गंगा नदी घाटी के भू–सांस्कृतिक क्षेत्र स्तर पर क्रियान्वयन व निगरानी समूहों का गठन किया जाये। इनमें जमीनी सम्बन्ध रखने वाले लोकतांत्रिक संगठनों को अधिक संख्या में सक्रिय एवं जवाबदेह सदस्य के रूप में शामिल किया जाये। ऐसे समूहों का नेतृत्व संयुक्त रूप से एक सरकारी व एक गैर सरकारी प्रतिनिधि के हाथों में हो। गैर सरकारी व सरकारी सदस्यों की संख्या का अनुपात तथा महिलाओं की सम्मानजनक संख्या राज्य प्रखण्डों की भांति ही मान्य हो।

23. भारत ने कभी अपनी नदियों की नीति बनाने व उनके साथ अपने व्यवहार की समीक्षा करने के लिए कुंभ की व्यवस्था बनाई थी। नई परिस्थितियों में **गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के नियम–नीति व निर्णयों को गंगा व समाज के अनुकूल बनवाने, उनकी पालना सुनिश्चित करने में सहायता देने तथा गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की समीक्षा हेतु सोसायटी पंजीकरण एक्ट के तहत गंगा जन पंचायत की स्थापना की जायें।**

समाज द्वारा चुने गये चुनिंदा जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा गंगा प्रवाह के तीर्थ स्थानों के चुनिंदा धर्म प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से गंगा जन पंचायत का सदस्य बनाया जाये। पंचायत के कार्यों में वर्ष में कम से कम दो समीक्षा बैठकें कर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान हो। इसके लिए गंगा जन पंचायत विशेषज्ञों की सदस्यता वाले सलाहकार मंडल गठित कर सकेगी।

24. गंगा नदी घाटी प्राधिकरण से लेकर जन पंचायत स्तर तक प्रत्येक स्तर पर आत्म–समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्तर्समीक्षा समितियां बनाई जाएं।
25. विवाद की स्थिति में त्वरित व निर्णायक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को चाहिए कि वह सर्वोच्च न्यायालय के जज के नेतृत्व में गंगा विशेष **अपील कोर्ट की स्थापना** करे।

इन संकल्पों को पूरा करने के लिए तथा माननीय स्वास्थ्य एवं नदी स्वास्थ्य के रिश्तों की समझ समाज के बीच में स्पष्टतया समझाने हेतु डा० हेमन्त गुप्ता, काशी को दी है। ये नदियों की सेहत और मानवीय सेहत की बीमारियों को समाज के सामने उजागर करेंगे। जिससे आने वाले कुंभ में स्नान करने वाले लोग गंगा मइया का अमृतपान व स्नानपान करने हेतु अपनी गंदगी को गंगा अमृत में न मिलायें। ये कार्य शोध का नहीं, अपितु स्पष्टतया शोध का विषय है। समाज की समझ, वैचारिक मंथन से बनती है इसलिए इस समझ को बनाने के लिए परम्परागत कुंभ में वैचारिक मंथन हेतु एक पद्धति की जरूरत है। नदी किनारे के कुंभ समाज में अच्छे संस्कारों को संरक्षण प्रदान करने और बुरे संस्कारों को दूर रखने के लिए होते रहे थे।

वैचारिक मंथन से अमृत कुंभ का निकलना स्पष्ट तौर पर संदेश देता है, कि वैचारिक मंथन में अच्छे व बुरे देवता व राक्षस उपस्थित रहते हैं। लेकिन जब अच्छे निष्कर्ष निकलते हैं तो उनकी रक्षा के लिए देवताओं को संगठित होकर काम करने का संदेशा मिलता है। काशी कुंभ ऐसे ही गंगा चिंतकों का एकजुट होना तथा अपने समाज को जागरूक करने का नया अवसर निर्मित हुआ। ऐसे अवसर अब आगे सभी कुंभों से पहले कुंभ के आस–पास आयोजित किये जायेंगे जो काशी कुंभ के नाम से जाने जायेंगे। इस काशी कुंभ में शामिल विद्वानों का एक समूह अब इसे व्यापक बनाने हेतु जुट गया है जो छोटी सूखती, मरती नदियों को पुनर्जीवित करने तथा बड़ी नाला बनी गंदी नदियों को पुनः उनके मूल स्वरूप में लौटाकर नदी बनाने का काम करेगा। यह कार्य देशभर से कुंभ में शामिल हुए लोगों ने अपने अन्तिम सत्र में संकल्प के तौर पर लिया। जय जय गंगे का अभिवादन और गंगा दशहरा को गंगा राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का संकल्प भी हुआ।

आज के युवा अपनी सेहत और अपनी मां गंगा, गोदावरी के रिश्तों को भूल गये है। उन्हें इसकी याद दिलाने तथा उनकी जीवन–पद्धति में नदियों

की सेहत के सुधार से उनकी सेहत का सुधार होना, इसका एहसास कराने तथा उसके अनुकूल जीवन–पद्धति का आभास देने का सबसे अच्छा अवसर कुंभ ही होता है। उसे पुनर्जीवित करने और वैसे ही वातावरण का निर्माण करने के लिए सभी कुंभ से पहले काशी कुंभ आयोजित होगा।

काशी कुंभ में देशभर के शिक्षा केन्द्रों, विश्वविद्यालयों आदि के सम्बन्धित विभागों के रूचि रखने वाले शिक्षकों को इस काम में लगाने की जिम्मेदारी प्रो० बी.पी. सिंह ग्लोबलाइजेशन एवं विकास अध्ययन केन्द्र एवम् प्रदीप भार्गव, निदेशक– गोविन्द बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने लिया। इन्होंने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है और गंगा से जुड़े सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को 18–19 अगस्त को अपने यहां बुलाया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर के कार्यक्रम अधिकारियों, विश्वविद्यालय कार्यक्रम समन्वयकों और देशभर के राष्ट्रीय सेवा योजना सम्पर्क अधिकारियों ने मिलकर संयुक्त रूप से इस कुंभ में निर्णय लिया कि गंगा की अविरलता, निर्मलता के काम को अब प्राथमिकता से करेंगे। गंगा हेतु एक गंगा युवा कोर बनायेंगे। यह कार्य भारत सरकार करेगी तो अच्छा होगा।

अंत में देशभर के 21 विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने गंगा के लिए समर्पण भाव से स्वयं काम करने का और अन्य शिक्षकों व विद्यार्थियों को इस कार्य में लगाने का वचन दिया। कई राजनेताओं ने भी गंगा के कार्य में जुटने की अपनी मंशा व संकल्प बताया। जल जन जोड़ों के गंगा सेवकों ने इस कुंभ में आकर अपना जीवन गंगा की सेवा में लगाने का निर्णय लिया। इस कुंभ में देश भर के 200 से अधिक विद्वानों ने भाग लिया। अंत में स्वामी निगमानन्द व स्वामी नागनाथ के गंगा समर्पण का स्मरण करके वैसी ही गंगा भक्ति और शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा और जय–जय गंगे के उद्घोष से यह काशी कुंभ सम्पन्न हुआ तथा अगले कुंभ में इस आशा और विश्वास के साथ मिलने का संकल्प लिया कि हम सब गंगा मैया की सेवा में पूर्ण मनोयोग और श्रद्धा के साथ माँ की निर्मलता और अविरलता के सतत प्रयास करते रहेंगे।

●

अपने विचार, सुझाव और अनुभव निम्नलिखित प्रपत्र पर भेजें–

आगामी विज्ञप्तियों से संबंधित सूचना के लिए कृपया हमारी मेल सूची में सम्मिलित हों–

नाम : .....

पता : .....

.....

ई मेल .....

मो0.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

यदि हम आपकी कोई और सहायता कर सकते हैं तो कृपया हमें सूचित करें।

पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग

बी. 27/98 ए–8 दुर्गाकुण्ड, वाराणसी–221001

टेलीफोन–(91-542) 2314060

e-mail-pilgrimspublishingvns@gmail.net.in

website-www.pilgrimsonlineshop.com

www.pilgrimsbooks.com

पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग से प्रकाशित अन्य पुस्तकें

• **सनातन गंगा**	संकलन - रामानन्द
• **कुम्भ : सर्वजन-सहभागिता का विशालतम अमृतपर्व**	संकलन - रामानन्द
• **कुम्भ मेला और साधु समागम अमरत्व की खोज**	बद्री नारायण, केदार नारायण
• **कैलास मानसरोवर**	संकलन - रामानन्द
• **माँ गंगा सूख रही हैं**	के० चन्द्रमौली
• **आनंद कानन काशी**	के० चन्द्रमौली
• **सनातन संस्कृति**	संकलन - रामानन्द
• **सनातन नीति एवं सुभाषित संग्रह**	संकलन - रामानन्द
• **हिन्द स्वराज**	मोहनदास करमचन्द गांधी
• Himalayan Mahakumbh	Ramesh Pokhariyal
• Kumbh@Haridwar the Divine Congregation	Bondaiah Adepu
• Kumbh Mela and The Sadhus The Quest for Immortality	Badri Narain, Kedar Narain

पिल्ग्रिम्स पब्लिशिंग
बी० 27/98-ए-8, दुर्गाकुण्ड,
वाराणसी-221010
फोन- (91-542) 2314060
e-mail-pilgrimspublishingvns@gmail.net.in

PILGRIMS

पिल्ग्रिम्स बुक हाउस
पो० बा० नं०-3872,
थामेल, काठमाण्डू, नेपाल
फोन-(977-1) 4700516,
4700942, 4700919
e-mail-pilgrims@wlink.com.np

website-www.pilgrimsonlineshop.com • www.pilgrimsbooks.com

काशी कुंभ एक पुस्तक मात्र नहीं है, यह आर्य संस्कृति की सर्वोत्कृष्ट जलधारा के पारम्परिक गौरव और स्वरूप के पुनर्प्रवर्तन हेतु आंदोलित राष्ट्र की आवाज तथा सक्रियता का नवीनतम दस्तावेज भी है। यदि एक वाक्य में कहा जाय तो यह २०१४ (ई.) का गंगा-कोश है। इस वर्ष लोकसभा चुनावों में केंद्र की सत्ता बदल जाने और राष्ट्र का नेतृत्व नरेंद्र मोदी द्वारा संभाले जाने के साथ ही देश का वातावरण नई आशाओं, आकांक्षाओं और संभावनाओं से भर गया। इन्हीं में एक मां गंगा के उद्धार की संभावना भी उभरी जिसने देखते ही देखते जोर पकड़ लिया। राजा (नेता), ऋषि, मनीषी, धर्माचार्य, विज्ञानविद्, विद्वद्गण, अध्यापक, छात्र, कृषक सब एकजुट हुए। देशभर में गंगा-लहर चल पड़ी। नये गंगा अभियान में क्या-क्या हुआ, क्या-क्या होने वाला है, कहां-कहां काशी कुंभ के क्या-क्या कार्यक्रम हुए, किन-किन लोगों ने क्या-क्या संकल्प लिये–इन सबको संकलित करने वाला यह अभिलेख ऐतिहासिक महत्त्व भी रखता है, क्योंकि इसमें गंगा-अभियान की सफलता की पूरी संभावना जताई गयी है जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी–न केवल भारतवर्ष की बल्कि पूरे विश्व की भी।

PILGRIMS
PILGRIMS PUBLISHING
◆ Varanasi ◆
www.pilgrimsbooks.com
www.pilgrimsonlineshop.com
www.pilgrimsbookhouse.com

ISBN 978-93-5076-039-0
9 789350 760390

₹ 50/-